अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल / ई–मेल

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या 713/c **/12–निर्माण/जि0यो0–दिनांक** 11-08-2017

1–समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय–शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या 3/2017/1067/78–2–2017–42आई.टी./2017 दिनांक 12.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेन्ट प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुये, सभी स्तरों पर, सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली लागू की गयी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 09/सी/12–निर्माण/अ.ग्रा.–68 दिनांक 06.04.2017 द्वारा विभाग में लागू करते हुये, ई–टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र संख्या 46/सी/12–निर्माण/अ.ग्रा. दिनांक 21.04.2017 द्वारा जारी किये जा चुके है। पुनश्च पत्र संख्या 239/सी/12–निर्माण/अ.ग्रा. दिनांक 25.05.2017, पत्र संख्या 573/सी/12–निर्माण दिनांक 10.07.2017 तथा पत्र संख्या 622/सी/12–निर्माण दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है। विभाग के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट के दृष्टिगत सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिवों को भी इस प्रणाली में सम्मिलित होना है।

अतएव गन्ना समितियों के सचिव भी डिजिटल सिग्नेचर, लागिन एवं पासवर्ड प्राप्त करने की कार्यवाही अविलम्ब कराते हुये सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12.05.2017 में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही की पूर्ति हो जाने की साप्ताहिक सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11/8/17

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता,
कृते गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्या–   /तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मंत्री, गन्ना विकास परिषदें, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

मुख्य अभियन्ता,
कृते गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।